फा.सं.-12027/03/2018-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक: 07.12.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढ़ंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश ।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नराकास के सदस्य कार्यालयों के पंजीकरण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति, कार्यालय की श्रेणी निर्धारण आदि के संबंध में दिशानिर्देश इस प्रकार से है-

1. यदि एक ही नगर में एक कार्यालय की बहुत सी शाखाएं होती हैं जहां पर कार्मिकों की संख्या 8 या 8 से अधिक है, को सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए किन्तु कुल नराकासों की संख्या यथावत बनी रहेगी । जहां पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है अर्थात, किसी जिले में जहां नराकास गठन के लिए 10 से कम सदस्य कार्यालय हो, वहां 8 से कम कार्मिक होने पर भी वैसे कार्यालय/बैंक/उपक्रम, जिनके अधिकारी वरिष्ठ हों, को नराकास का सदस्य कार्यालय बनाना प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अनिवार्य होगा ।

2. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्य कार्यालयों (जहां पर कार्मिकों की संख्या 8 या 8 से अधिक है) का पंजीकरण 15 दिन में पूर्ण हो तथा पंजीकृत कार्यालय तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे।

3. विभाग द्वारा नराकासों के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के साथ सलग्न 16/10/2017 को इस विषय पर हुई बैठक के कार्यवृत (अनुलग्नक 2 की पृ.सं.-2) की मद संख्या 12 में आंशिक संशोधन करते हुए पंजीकरण के लिए किसी भी स्तर के कार्यालय के स्थान पर कम से कम 8 स्टाफ संख्या होना अनिर्वाय कर दिया गया है।

4. बोर्डों आदि के मामले में उनके मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ कार्यालय (Offices) की श्रेणी में आएंगे । आकाशवाणी, दूरदर्शन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यालयों की श्रेणी में पंजीकरण करवाएंगे । भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण उपक्रमों की श्रेणी में आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीएसआईआर (CSIR) तथा आईसीएआर(ICAR) के अधीनस्थ कार्यालय Office की श्रेणी में पंजीकरण करवाएंगे ।

O/C

5. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में रखा गया है और इसी श्रेणी में उन्हें क्षेत्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2018-19 से क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा।

19/12

(सुस्मिता भट्टाचार्य)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)
दूरभाषः- 011-23438143

प्रतिः

1. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कृपया अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त नराकासों को इस संबंध में सूचित करें ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव ।